संख्या:79/2020/1899 ई-2/तेरह-2020-239/99

प्रेषक,

**अनिल कुमार**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2020

**विषय: मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि. (आसवनी), द्वारिकेशनगर, बिजनौर की क्षमता 100 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का ई.एन.ए. प्लान्ट स्थापित कर आसवनी की क्षमता 130 कि.ली. प्रतिदिन एवं आसवनी की वर्ष में कार्यकारी दिवस 330 से बढ़ाकर 350 कार्य दिवस करते हुए आसवनी की क्षमता वर्ष में 330 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 455 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।**

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-39/दो-प्रा.डी.-125, दिनांक 09.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

**2.** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव तथा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स द्वारिकेश आसवनी, बिजनौर की अधिष्ठापित क्षमता 100 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 130 कि.ली. प्रतिदिन किये जाने तथा आसवनी को वर्ष में 330 कार्य दिवस के स्थान पर 350 कार्य दिवस तक संचालित कर वार्षिक क्षमता 330 लाख लीटर प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 455 लाख लीटर वार्षिक किये जाने एवं आसवनी में 30 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट के अन्तर्गत वाश से रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ-साथ वाश से ई.एन.ए. का भी निर्माण किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक बढ़ी हुयी क्षमता के अनुसार दोनों प्लान्टों को वर्ष में 350 कार्य दिवस तक संचालित किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त कर विस्तारित क्षमता के अनुसार अल्कोहल उत्पादन करने से पूर्व आबकारी आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही साथ आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तारित क्षमता के अनुसार अल्कोहल उत्पादन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(अनिल कुमार)**
संयुक्त सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in